

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

31/3/23

प्रकरण संख्या :- 24/23

तारीख दायर

बालूलाल पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजू पुत्र शंभूलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. बंशीलाल पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नानालाल पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. नन्दकिशोर पुत्र भवाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. शंभूलाल पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. रुपा पुत्र उदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. कजोड़ पुत्र उदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक 31/3/23

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम किशननिवास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 48 पर अंकित आराजी संख्या 85 रकबा 0.9389 हैक्टेयर भूमि है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित मौजा ग्राम किशननिवास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 48 पर अंकित आराजी संख्या 85 रकबा 0.9389 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 24/23

तारीख दायर 31/3/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार

बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 24/23 / 2023 पत्थरगढ़ी बाबत।

बालूलाल पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थी

बनाम

1. राजू पुत्र भाम्भूलाल जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. बं गीलाल पुत्र नन्दा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी गोविन्दपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. नानालाल पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. नन्दकि गोर पुत्र भवाना जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. भाम्भूलाल पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. रूपा पुत्र उदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. कजोड़ पुत्र उदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मणपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है जाकर मौजा ग्राम किशननिवास पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 48 पर अंकित आराजी संख्या 85 रकबा 0.9389 हैक्टेयर भूमि की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक उमाजी का खेड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है एवं कमिश्नर फीस 500/- रूप्ये वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पूर्व पडौसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ